# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 173 B.N.S.S)

# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District** (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana  **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram  **Year (वर्ष):** 2026

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0034  **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/08/2026 19:32 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 409 |
| 3 | IPC 1860 | 420 |
| 4 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(a) |
| 5 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days  **Date from (दिनांक से):** 01/01/2001  **Date To (दिनांक तक):** 25/11/2019

**Time Period (समय अवधि):**  **Time From (समय से):** 00:00 hrs  **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**  **Date (दिनांक):** 26/08/2026  **Time (समय):** 18:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**  **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 022  **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/08/2026 18:55 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 6 Km(s)  **Beat No. (बीट सं.):**

**(b) Address (पता):** जिला गुरुग्राम,

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** भारतेन्द कुमार

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 19/01/1975 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | Present Address | रा०स० एंव भ्र०नि०ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | रा०स० एंव भ्र०नि०ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.): 91-1668-226998 Mobile (मोबाइल सं.): 91-9582200129

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H.)
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम
Gurugram Range Gurugram

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डा० सुरेश कुमार भा०प्र०से० | | | 1. तत्कालीन मुख्य प्रशासक,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,पंचकुला PANCHKULA,HARYANA,INDIA |
| 2 | श्री मुकेश कुमार | | | 1. तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 GGM,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,गुरुग्राम GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 3 | श्री कृष्ण कुमार सहायक | | | 1. कार्यालय सम्पदा अधिकारी-1 GGM,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,गुरुग्राम GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 4 | श्री हनुमान लिपिक | | | 1. कार्यालय सम्पदा अधिकारी-1 GGM,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,गुरुग्राम GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 5 | श्री स्वर्ण कुमार खोसला | | Father's Name: स्व. श्री मदन गोपाल खोसला | 1. E 536,GREATER KAILASH-2 NEW DELHI-48,NEW DELHI,DELHI,INDIA |
| 6 | सत्यवीर मलिक | | Father's Name: श्री रिछपाल सिह | 1. 154,वार्ड न० 8,मलिक हस्पताल,हांसी हिसार,HANSI,HARYANA,INDIA |
| 7 | अभय सहारण | | Father's Name: श्री सुरेन्द्र पाल सिंह साहरण | 1. 546,सैक्टर 17 गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 8 | रामनिवास राठी | | Father's Name: भरत सिंह राठी | 1. D-4/25,DLF PH-1 GURUGRAM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA |
| 9 | वशिष्ठ कुमार गोयल | | Father's Name: श्री रामचन्द्र | 1. 842/18,शान्ति नगर गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) Gurugram Range Gurugram

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|---|---|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे । श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच कमांक 14 दिनांक 25.11.2019 गुरुग्राम, श्रीमान मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 7/20/2019-1 चौ0 (II) दिनांक 22.11.2019 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में दर्ज की जाकर उनके कार्यालय के पृष्ट कमांक 18438/गुप्त/रा०चौ०ब्यू० (ह०) दिनांक 25.11.2019 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई है जांच में लगाये गये आरोपो की पडताल सेवानिवृत श्री सतेन्द्र कुमार, ह.पु.से. तत्कालीन राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा किया गया।

जांच में लगाये गये आरोपों की पडताल सेवानिवृत श्री सतेन्द्र कुमार, ह.पु.से., द्वारा पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम की सीधी देख रेख में पूर्ण की है। जो जांच में आरोप थे कि जिला उपभोक्ता फोर्म ने फैसला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ व आबंटियों के पक्ष मे दिया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा राज्य उपभोक्ता फोर्म के समक्ष अपील दायर करने से एक साल पहले उक्त प्लाट की बकाया राशि न भरने के कारण हुड्डा विभाग द्वारा रिज्यूम कर लिया गया था। तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ने राज्य उपभोक्ता फोर्म के फैसले का पुरी तरह से उल्लघंन करते हुये आदेश GPA होल्डर की Application/Reprsentation पर अलॉटमैन्ट के समय की पुरानी किमतों के आधार पर जारी कर दिया। मुख्य प्रशासक HSVP पंचकुला के आदेश के तहत श्री मुकेश सोलंकी EO-1 द्वारा उक्त प्लॉट अलॉट किया। आंबटन के माध्यम से सरकारी खजाने को भूमाफिया एवं HSVP के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सरकार को भारी करोडो का नुकसान पंहुचाया गया।

(2) भूमाफियाओं का तौर तरीका इस प्रकार का है की लम्बे समय से एक ही जगह पर तैनात HSVP के भ्रष्ट कर्मचारियो से HSVP द्वारा खारिज छोड दी गई सम्पतियों की सूची प्राप्त करके उपलब्द्व कराते है एवं फिर आबंटी से सम्पर्क करके GPA वगैरा के माध्यम से प्रमुख हिस्सा पाने के लिए अपनी सदस्यता बदलकर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके Plot/Land/SCO वगैरा के सम्बन्ध मे HSVP/सरकार के अधिकारियो से मिलकर प्रतिनिधित्व स्थानान्तरित करके सम्पति अपने नाम करा लेते हैं।

(3) प्रतिनिधित्व की अवधि समाप्त के बाद CWP दायर करके HSVP के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों को विकृत करके प्रतिनिधित्व एक बोलने का आदेश पारित करने बारे माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश मांगेंगे एवं उसके उपरान्त कानूनी अधिकारी समय पर आदेशों को चैलेंज नहीं करते क्योंकि उनकी भी मिलीभगत की होती है।

(4) इस प्रकार सक्षम अधिकारी जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो को चुनौती देने बारे बाद्धय है फिर भी समय पर अपील दायर नहीं करते जिससे सरकारी खजाने को भारी करोडों का नुकसान पहुंचता बारे आरोप लगाये है।

जांच के दौरान प्राप्त किये गये कथनो, प्रलेखो व शिकायत फाईल का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि स्वर्ण कुमार खोसला पुत्र श्री मदन गोपाल खोसला ने हरियाणा शहरी प्राधीकरण गुरुग्राम में अपनी अलग-2 कम्पनियों के नाम से निलामी / Auction में दो प्लाट खरीद किये थे जो दिनांक 18.03.1988 को एक प्लाट M/s Modren Photolab Pvt. Ltd. के नाम से प्लाट न० 4358 सैक्टर 23, 23ए गुरुग्राम जिसका क्षेत्रफल 14 मरला था और जिसको 3,88,960/- रु में लिया था

POLICE STATION S.V. & A.C.B. Gurugram Range Gurugram

श्री एस०के० खोसला द्वारा प्लाट न0 4358 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम की निलामी की कीमत 3,88,960/-रु में से 3,48,160/- रु दिनांक 19.05.1988 को ही HSVP विभाग गुरूग्राम में जमा करा दिये गये थे। लेकिन HSVP विभाग

गुरूग्राम ने अलाटी द्वारा जमा कराई गई धनराशी 3,48,160/- रु का इन्द्राज अपने रिकार्ड में नही किया और अपने रिकार्ड अनुसार समय पर राशि जमा न करने पर हुड्डा एक्ट के अनुसार कार्यवाही करते हुये प्लाट न0 4358 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम के अलाटमैन्ट पत्र कमांक 288 दिनांक 22.04.1988 को दिनांक 08.05.2001 को रद्द कर दिया।

फर्म Moderan Photolabs(P) Ltd. 33 Gulmohar Park Shoping Complex Centre New Delhi 114049 through Director Shri S.K. khosla की तरफ से प्लाट न0 4358 के सम्बन्ध में दिनांक 08.05.2001 को HSVP विभाग गुरूग्राम द्वारा पारित किये गये आदेश के खिलाफ माननीय जिला उपभोक्ता फोर्म गुरुग्राम में दिनांक 17.03.2003 को एक शिकायत U/s 12 of the consumer Protection Act 1986 के अनुसार दायर कर दी। जिसके सम्बन्ध में माननीय फोर्म द्वारा आवेदनकर्ता के पक्ष में फैसला दे दिया।

उक्त आदेश को लागू कराने के लिये आवेदनकर्ता ने एक प्रतिवेदन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा पंचकुला के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग गुरूग्राम द्वारा समय पर जमा की गई धनराशी का ब्यौरा न दर्शाकर प्लाट गलत प्रक्रिया द्वारा रद्द किया गया था। जिसका उन्होने माननीय जिला उपभाक्ता फोर्म गुरूग्राम द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 25.08. 2005 की अनुपालना में प्लाट न0 4358 सैक्टर 23, 23ए को Restored करने बारे दिनांक 18.08.2008 को अपने कार्यालय से Speaking order पास करते हुये सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम को निर्देशित किया और यह आदेश भी पारित किया कि जिला उपभोक्ता फोर्म गुरूग्राम द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 25.08.2005 के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में कोई अपील दायर न की जावे और उक्त की गई लापरवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएँ (दण्ड एंव अपील) के नियम 7 के अर्न्तगत कार्यवाही की जा चुकी है।

जांच के दौरान पाया गया कि प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए की निलामी दिनांक 18.04.1988 को Neo Protiens Ltd. फर्म जिसका मालिक एस०के० खोसला था के नाम से सबसे ज्यादा बोली लगाने पर प्लाट न0 4377 एस०के० खोसला के नाम अलाट किया गया। प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरुग्राम की कीमत 6,74,100/-रु थी। जिसकी 10 प्रतिशत राशी 67,410/-रु फर्म के मालिक द्वारा उसी दिन दिनांक 18.04.1988 को हुड्डा विभाग में जमा करवा दी गई। उसके पश्चात हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अलाटी को अपने कार्यालय के पत्र कमांक 329 दिनांक 07.03.1988 के अनुसार अलॉटमैन्ट पत्र जारी कर दिया। उसके पश्चात अलाटी द्वारा हुडडा विभाग में प्लाट की बकाया राशी 15 प्रतिशत का भुगतान नही किया गया। जो हुड्डा विभाग के नियम अनुसार अलाटी को प्लाट अलॉट होने के 30 दिन के अन्दर जमा करवानी चाहिये थी।

अलाटी द्वारा उसका प्लाट न0 4377 विकसित न होने के कारण निर्धारित बकाया राशी जमा न करने बारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मुख्य प्रशासक HSVP व प्रशासक HSVP गुरुग्राम, को दिनांक 10.06.1988 को आवेदन किया जिसमे अलाटी द्वारा अंकित किया गया है कि जिन सैक्टरो मे निलामी कि गई उसमे ना तो बिजली पानी की सुविधा है और ना ही सिवरेज की व्यवस्था है तथा ग्रीन लैण्ड जो कि हुडडा कार्यालय के सामने है वहा पर अवैध निर्माण किया जा रहा है इसे रोका जाये व जब तक प्लाट की पोजेशन नहीं दि जाती जब तक प्लाट के सम्बन्ध मे हुड्डा विभाग को देय करने वाली राशि पर रोक लगा दिये जोन बारे आवेदन दिया गया।

अलाटी द्वारा 15 प्रतिशत राशि 92 दिन उपरान्त दिनांक 06.09.1988 को 1,01,115/-रू० हुड्डा विभाग में डी०डी० के माध्यम से जमा कराई। HSVP द्वारा उक्त राशि समय पर जमा न करवाने के कारण उक्त राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाकर एक पत्र दिनांक 29.09.1988 से श्री एस० के० खोसला को सुचित किया गया कि उक्त राशि का ब्याज 4618/-रु दिनांक 30.9.1988 तक विभाग में जमा करवाये। इसके बाद पुनः दिनाक 13.02.1989 को ब्याज की राशि 4965/-रू० विभाग में जमा करवाने बारे पत्र श्री एस०के० खोसला को दिया गया। जिसमे ब्याज की राशि न भरने पर उक्त प्लाट के अलाटमैन्ट को रद्द करने बारे भी लिखा गया है। इसके उपरान्त श्री एस०के० खोसला द्वारा 27.02.1989 को ब्याज की राशि 4965/- रू० विभाग में जमा करवा दि गई।

POLICE STATION S.V. & A.C.B.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम द्वारा अलाटी को दिनांक 08.03.1989 को 84262. 50/-रू० जमा करवाने के सम्बन्ध में धारा 17 (1), 17(2) हुडडा एक्ट का नोटिस दिया गया दिये गये। इसके बाद दिनांक 16.11.1990 को

3,37750/-रू0 जमा करवाने बारे उक्त धारा अनुसार नोटिस दिया गया। इसके उपरान्त हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम द्वारा अलाटी को दिनांक 10.05.1994 को प्लाट न0 4377 का Offer of Possession पत्र जारी कर दिया गया। M/s Neo Proteins Ltd. के चैयरमैन श्री एस०के० खोसला द्वारा एक दरखास्त अपनी फर्म का पता भविष्य मे पत्राचार के लिये M/s Neo Proteins Ltd 903-A Indraparkash 21, Barakhamba Road New Delhi-110001 अकिंत करके प्रशासक हुड्डा गुरूग्राम को दिया गया जिस पर हुड्डा विभाग गुरूग्राम के कार्यालय का डायरी न0 1775 दिनांक 30.09.1997 अंकित किया गया है अलाटी द्वारा समय पर निर्धारित 75 प्रतिशत बकाया राशी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम में जमा न कराने पर दिनांक 15.01.2001, 30.03.2001, 22.03. 2002, 08.04.2002 को धारा 17 (1),17(2) हुडडा एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिया गया।

अलाटी द्वारा करीब 14 वर्ष तक HSVP गुरुग्राम में बकाया राशि जमा न करवाने के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिशो से अलाटी को सुचित करने उपरान्त प्लाट को HSVP गुरुग्राम द्वारा HUDA Act के अन्र्तगत कार्यवाही करते हुये अपने कार्यालय के पत्र कमांक 3649 दिनांक 08.04.2002 के अनुसार प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए रिज्युम कर लिया गया। प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए का Possession देने उपरान्त प्लाट रिज्युम होने पर प्लाट का दिया हुआ Possession Withdrawal कर लिया गया।

अलाटी द्वारा जो 15 प्रतिशत राशी 1,01,115 रू० हुड्डा विभाग मे जमा की गई थी प्लाट रिज्युम होने के कारण उस राशी को हुड्डा विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2002 को चैक फर्म के नाम M/s Neo Proteins Ltd 903-A Indraparkash 21, Barakhamba Road New Delhi-110001 से जारी करके उक्त पते पर भेजा गया। जो चैक 1,01,115/-रु M/s Neo Proteins Ltd. 903-A Indraparkash 21, Barakhamba Road New Delhi-110001 के नाम से भेजा गया था वह अलाटी द्वारा HSVP गुरूग्राम को वापिस भेजते हुये लिखित मे सूचना दी कि आपके विभाग द्वारा जो मेरा प्लाट जो रिज्युम किया गया था उस आदेश के खिलाफ मैं माननीय DCDRF गुरूग्राम में उसको चैलेंज कर रहा हूँ। जो कि हुड्डा विभाग द्वारा दिनांक 28.04.2003 के अनुसार प्राप्त किया गया। M/s Neo Proteins Ltd. दिनांक 30. 08.1994 में बन्द हो चुकी थी व उसके स्थान पर इस फर्म का नया नाम M/s New Security Ltd. हो गया था।

प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम HSVP गुरूग्राम विभाग द्वारा रिज्युम करने उपरान्त फर्म Neo Proteins Ltd. नई दिल्ली के मालिक श्री एस०के० खोसला द्वारा दिनांक 15.03.2003 को उक्त प्लाट की GPA श्री अभय सहारण पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह साहरण निवासी म०न० 546 सैक्टर 17 गुरुग्राम के नाम सब रजिस्ट्रार कापसहेडा, नई दिल्ली में रजिस्टर्ड करवाया जिस पर M/s Neo Proteins Ltd. व M/s New Security Ltd. की मोहर लगी हुई है तथा श्री एस०के० खोसला द्वारा अपने हस्ताक्षर किये हुए है। इस GPA पर श्री रामनिवास राठी व विजय सेहरावत पुत्र श्री धर्मपाल वासी महीपालपुर दिल्ली ने बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये हुये है।

इसके उपरान्त दिनांक 17.03.2003 को M/s Neo Proteins Ltd. के मालिक श्री एस०के० खोसला के हस्ताक्षर की एक अपिल माननीय DCDRF गुरूग्राम में दायर की गई जिसमे प्लाट न0 4377 को रि-स्टोर करने व प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए की जगह अन्य सैक्टरो में जैसे कि 15, 27, 48, 42, 43, 31, 32 मे दिये जाने बारे लगाई। इसका फैसला माननीय DCDRF गुरूग्राम ने दिनांक 07.10.2005 को आवेदनकर्ता के पक्ष में दिया। मुख्य प्रशासक, HSVP हरियाणा पंचकुला द्वारा माननीय DCDRF गुरूग्राम के फैसले दिनांक 07.10.2005 की Execution / निष्पादन करते हुये पत्र कमांक LR/DDA-03/08/5550 दिनांक 26.05.2008 के अनुसार सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम को आदेश जारी किये कि माननीय DCDRF गुरुग्राम के फैसले अनुसार प्लाट न0 4377, सैक्टर 23, 23ए को Subject to the decision of Higher Court/FORUMS बहाल किया जावे।

उक्त आदेश की पालना करते हुये सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम ने मैसर्ज Neo Proteins Ltd. के मालिक श्री एस०के० खोसला के प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम को पत्र क्रमांक 4772 दिनांक 05.06.2008के अनुसार प्लाट को बहाल करते हुये 5,05,575/- रु 30 दिन के अन्दर-2 जमा करने बारे पत्र जारी किया। HSVP गुरूग्राम कार्यालय के श्री सत्यवीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (सर्वे शाखा) द्वारा पत्र कमांक SDE(S)/598 दिनांक 17.07.2008 के अनुसार प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए का Possession Certificate GPA Holder श्री अभय सहारण पुत्र श्री एस०पी० सिंह सहारण के नाम जारी कर दिया।

HSVP गुरूग्राम विभाग ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय SCDRC चण्डीगढ़ में दिनांक 16.11.2005 को अपील न0 2408/2005 दायर कर दी गई। HSVP गुरूग्राम द्वारा अलाटी के प्लाट को बहाल करते समय DCDRF के आदेश अनुसार 25 प्रतिशत जमा की हुई राशी पर 18 प्रतिशत ब्याज देने पर 1,13,585/-रू० की राशी अधिक पाई गई जो कि GPA होल्डर श्री अभय सहारण के नाम से चैक न0 098762 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार जारी किये गये। इसके पश्चात GPA Holder श्री अभय सहारण के हस्ताक्षर की एक अपील / प्रतिवेदन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दिनांक 07.04.2011 को यह लिखते हुये पेश किया कि DCDRF गुरुग्राम के आदेश दिनांक 07.10.2005 के अनुसार या तो प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए दिया जावे या इसके स्थान पर साथ लगते हुये सैक्टर 15, 31, 32, 27, 28, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52 व 57 गुरुग्राम में प्लाट दिया जावे इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत जमा राशी पर 18% ब्याज दिया जावे और बकाया राशी पर कोई ब्याज न लिया जावे तथा हल्फनामा देते हुये यह भी अंकित किया गया है कि वह हुड्डा विभाग की नीति अनुसार प्लाट को हुड्डा विभाग के वर्तमान रेट पर लेने को तैयार हूँ।

सम्पदा अधिकारी-1, HSVP गुरूग्राम ने प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए पर स्टे प्राप्त करने के लिये मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला को अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 4354 दिनांक 28.04.2011 के अनुसार जारी किया गया। जिस पर अग्रीम कार्यवाही करते हुये मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला ने स्टे आर्डर जारी करते हुये सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम को अपने कार्यालय के पत्र कमांक DA/LA/N.S/11 दिनांक 13.05.2011 को जारी कर दिया।

दिनांक 12.10.2012 को माननीय SCDRC हरियाणा पंचकुला ने अपना आदेश पारित करते हुये माननीय DCDRF गुरूग्राम द्वारा दिनांक 07.10.2005 को दिये गये आदेश को रद्द (Set aside) कर दिया। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय SCDRC हरियाणा पंचकुला के आदेश दिनांक 12.10.2012 की अनुपालना करते हुये वर्ष 2008 में बहाल किये हुये प्लाट को HSVP गुरुग्राम के कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर प्लाट की Possession को रद्द नहीं किया गया। M/s Neo Proteins Ltd. ने माननीय SCDRC हरियाणा पंचकुला के आदेश दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध माननीय NCDRC नई दिल्ली में दिनांक 21.08.2013 को रिविजन पैटिशन न० 346/2013 दायर की। इस पैटिशन में HUDA ANR. के नाम से दोनो प्लाटो न0 4358 सैक्टर 23, 23ए M/s Modren Photolabs Pvt. Ltd. व प्लाट न० 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरुग्राम M/s Neo Proteins Ltd. जो उपरोक्त दोनो फर्मों के मालिक श्री एस०के० खोसला है। दोनो केसो को समान मानते हुये यह पैटिशन दायर की गई। जिस सम्बन्ध मे माननीय NCDRC नई दिल्ली ने पैटिशनर द्वारा दायर की गई रिविजन पैटिशन पर फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किये कि Withdraw the present revision petition with liberty to take-up the matter before the Chief Administrator, HSVP, Haryana.

M/s Neo Proteins Ltd. के मालिक श्री एस०के० खोसला के हस्ताक्षर की एक दरखास्त / शिकायत मुख्य प्रशासक, हुड्डा हरियाणा पंचकुला को दिनांक 07.09.2015 को दी गई। जिसमे एस०के० खोसला द्वारा प्लाट न० 4377 सैक्टर 23.23ए को प्राकृतिक न्याय व मानवीयता के आधार पर रि-स्टोरेशन करने बारे आग्रह किया है

उक्त शिकायत / प्रतिवेदन पर मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 09.09.2015 को प्रशासक हुड्डा गुरुग्राम व सम्पदा अधिकारी, हुड्डा गुरूग्राम को Detailed comments भेजने बारे ई०-मेल की गई। इस ई०मेल के सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम ने पत्र कमांक 6710 दिनांक 06.10. 2015 के अनुसार अपनी detailed comments मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला को भेजी जिसमे उन्होने प्लाट न0 4358 सैक्टर 23.23ए व प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए दोनो ही प्लाट माननीय जिला उपभोगता के आदेशानुसार अलाटी को दिये गये दर्शाया है। व यह भी दर्शाया गया हे कि प्लाट न० 4358 सैक्टर 23.23ए के सम्बन्ध मे माननीय जिला उपभोगता आयोग के आदेशो के विरूद्ध मुख्यालय के आदेशानुसार अपील दायर नहीं कि गई है परन्तु प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए के सम्बन्ध मे माननीय जिला उपभोगता आयोग के निर्णय की विरुद्ध माननीय राज्य उपभोगता आयोग मे अपील कि गई है जिसमे राज्य उपभोगता आयोग द्वारा विभाग के पक्ष में अपना फैसला दिया है। अलाटी इस निर्णय के विरूद्ध राष्ट्रीय उपभोगता आयोग में जाने के लिए स्वतंत्र है। जो Comments विभाग के पक्ष में दिये गये थे

M/s Neo Proteins Ltd. के मालिक श्री एस०के० खोसला द्वारा दिनांक 02.05.2018 को एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दिया गया जिसमे एस०के० खोसला द्वारा प्लाट न० 4377 सैक्टर 23,23ए को प्राकृतिक

न्याय व मानवीयता के आधार पर रि-स्टोररेशन करने बारे आग्रह किया गया है जिसमे माननीय राज्य उपभोगता आयोग द्वारा दिये गये निर्णय का भी वर्णन किया गया है जिस पर श्री राजेश खुल्लर, भा०प्रा०से०, PS to CM ने Presented to CM he would apricite expeditias proceeding on file मार्क करते हुये यह प्रतिवेदन मुख्य प्रशासक हुड्डा हरियाणा पंचकुला को भेज दी।

उक्त प्रतिवेदन मुख्य प्रशासक, हुड्डा हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र कमांक A-1-UB-2018/108047 दिनांक 29.05.2018 के अनुसार प्रशासक, हुड्डा गुरूग्राम को टिप्पणी 2 दिन में भेजने हेतु भेज दी गई। उक्त प्रतिवेदन पर अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रशासक हुडडा, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 122450 दिनांक 15.06.2018 के अनुसार सम्पदा अधिकारी-1 हुड्डा गुरुग्राम को टिप्पणी हेतु भेज दिया। सम्पदा अधिकारी-1, हुड्डा गुरुग्राम कार्यालय में तैनात कर्मचारी सहायक कृष्ण कुमार ने रिकार्ड के अनुसार पूर्ण टिप्पणी तैयार करते समय नोटिंग पर प्लाट न० 4358 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम व प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम के दोनो केसो को समान (Similar) मानते हुये यह भी अकिंत किया कि "M/s Neo Proteins Ltd. has also made full final pament deposited and possession was handed over in both the case but the appeal was filed in one case ie M/s Neo Protiens Ltd".

उक्त नोटिंग को श्री मुकेश कुमार, HCS, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1, हुडडा गुरूग्राम ने अनुमोदित करते हुये अपने कार्यालय के पत्र कमांक 4540 दिनांक 26.06.2018 के अनुसार प्रशासक हुडडा, गुरुग्राम को जारी करते हुये अनुमोदित नोटिंग में की हुई टिप्पणी के अतिरिक्त It is, therefore, requested the prayer of the applicant may be considered sympathetically and got decided on merit in similar circumstances of M/s Modern Photolabs Pvt. Ltd. allottee of plot No. 4358, Sec- 23, 23A Gurugram in the interest of Justice. भी अकिंत किया। इसकी एक प्रति मुख्य प्रशासक, HSVP (Legal Cell) हरियाणा पंचकुला को सूचनार्थ भेजी गई। प्रशासक हुड्डा गुरूग्राम द्वारा सम्पदा अधिकारी-1 हुड्डा की टिप्पणी पर असहमति देते हुये उसको पृष्ठांक करते हुये अपनी टिप्पणी मुख्य प्रशासक, हुड्डा, हरियाणा पंचकुला को पत्र कमांक Admin/A-1/2018/16778 दिनांक 26.12.2018 के अनुसार भेजी गई जिसमें अकिंत किया कि "After examine the case, it is found that litigation intited against resumption of his plot has already been decided in favour of HSVP upto SCDRC so the legal remedy before the aggrieved party, applicant was to challenge the same before NCDRC. Therefore, the recommendation of the Estate officer-1, HSVP, Gurugram is not considerable. The original file of plot No. 4377 plot No. 4358 Sector 23, 23A, Gurugram are enclosed for ready reference." इससे पूर्व में सम्पदा अधिकारी-1 गुरूग्राम द्वारा अपनी टिप्पणी मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला को दिनांक 06.10.2015 को भेजी गई थी इन दोनो टिप्पणीयो में काफी भिन्नता है। जबकि मुख्य प्रशासक, हुड्डा पंचकुला द्वारा टिप्पणी प्रशासक, हुड्डा गुरुग्राम से मांगी गई थी न कि सम्पदा अधिकारी-1, हुड्डा गुरुग्राम से मांगी गई थी।

M/s Neo Proteins Ltd. के मालिक श्री एस०के० खोसला के हस्ताक्षर का एक प्रतिवेदन दिनांक 20. 11.2018 को प्रधान सचिव, नगर एंव ग्राम आयोजनाकार विभाग हरियाणा पंचकुला के सम्मुख दिया गया जिसमे आवेदनकर्ता द्वारा प्लाट न0 4377 सैक्टर 23,23ए को प्राकृतिक न्याय व मानवीयता के आधार पर रि-स्टोररेशन करने बारे व हुड्डा विभाग गुरुग्राम के अधिकारी/कर्मचारी को उक्त प्लाट के बहाल करने व सम्पदा अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा दिनाक 26.06.2018 पर विशेष रूप से ध्यान देने बारे आग्रह किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पदा अधिकरी-1 हुड्डा गरूग्राम को प्रशासक हुड्डा गुरुग्राम द्वारा असहमति बारे जारी किया हुआ पृष्ठांक प्राप्त होने उपरान्त भी मुख्य प्रशासक, हुड्डा विभाग हरियाणा पंचकुला से उससे सम्बन्धित कोई पत्राचार नहीं किया गया।

माननीय NCDRC नई दिल्ली में लम्बित रिविजन पैटिशन न0 346/2013 के सम्बन्ध में पैटिशनर श्री एस०के० खोसला के नाम से अन्तरिम दरखास्त न० 3222/2019 पैटिशन को Withdraw करवाने के लिये दी गई। जिस पर माननीय NCDRC नई दिल्ली ने पैटिशनर द्वारा दायर की गई रिविजन पैटिशन 346/2013 को Withdraw the present revision petition with liberty to take-up the matter before the Chief Administrator, HSVP, Haryana करने के आदेश दिनांक 22.02.2019 को दिये गये।

अलाटी द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को उक्त प्लाट के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुये डा० डी० सुरेश, भा०प्रा० से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, HSVP पंचकुला द्वारा दिनांक 01.03.2019 को Speaking order जारी किया गया जिसमें आदेश किया गया कि " Therefore in view of the above discussion the resumption order in respect of plot No. 4377, Sector 23, 23A Gurugram is hereby set aside being discriminatory the implementation of

DCDRF order dated 07.10.2005 is made absolute and the allottee shall not be dispossessed on account of the resumption order dated 08.04.2002. The speaking order be conveyed to the Estate officer-1, HSVP, Gurugram as well as the allottee. " जिसकी अनुपालना करते हुये श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1, HSVP गुरुग्राम, सहायक श्री कृष्ण कुमार व लिपिक हनुमान सिंह कार्यालय सम्पदा अधिकारी-1, HSVP गुरूग्राम ने यह प्लॉट Neo Proteins Ltd. through its Chairmen-Cum.MD Sh. S.K. Khosla thourgh GPA Sh. Abhey Sharan S/o Sh. Surender pal R/o H.No. 546 Sector-17 Gurugram के नाम कर दिया। इसके बाद Neo Proteins Ltd. through its Chairmen-Cum.MD Sh. S.K. Khosla thourgh GPA Sh. Abhey Sharan S/o Sh. Surender pal R/o H.No. 546 Sector-17 Gurugram द्वारा एक Indemnity Bond दिनांक 8 अप्रैल 2019 को तैयार करवाकर श्री सत्यवीर सिह मलिक पुत्र श्री रिछपाल सिह वासी मकान न० 154 मलिक हस्पताल वार्ड न० 8 हांसी. हिसार के नाम बेच दिया। इसके उपरान्त दिनांक 09.04.2019 को उक्त प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम का मालिकाना हक स्थानान्तरण करवाने के लिये सम्पदा अधिकारी-1, हुड्डा गुरूग्राम कार्यालय में सिंगल विन्डो पर आन लाईन अप्लाई किया गया। Apply करते समय जो दस्तावेज सलंग्न किये गये उसमे एक हल्फनामा असल अलाटी की तरफ से इस बाबत दिया हुआ हे कि जी०पी०ए० होल्डर श्री अभय सहारण द्वारा यह प्लाट डा० सत्यवीर सिंह मलिक के पक्ष में स्थानान्तरण करने बारे मे मुझे कोई एतराज नही है, जिस बारे मुझे पूर्ण जानकारी है व मेरी सहमति भी है। जो हल्फनामे पर भी श्री एस०के० खोसला के नाम के हस्ताक्षर किये हुये है। इसके उपरान्त प्लॉट ट्रांसफर होने उपरान्त Conveyance deed श्री सत्यवीर सिह मलिक के नाम करवा दी गई। हुड्डा पोलिसी के अनुसार असल अलॉटी को कोई पैसा नहीं दिया गया।

प्लाट ट्रांसफर होने के उपरान्त श्री सत्यवीर सिंह मलिक के पक्ष में Conveyance Deed प्लाट की कुल कीमत 6,71,853/- रु दर्शाते हुये कर दी। जबकि यह प्लाट करीब 30 वर्ष बाद हुड्डा विभाग की निति/नियम व सभी कायदे-कानून को ताक पर रखकर ट्रांसफर कर दिया गया। वर्ष 2019 में Collector rate के मुताबिक सैक्टर 23, 23ए गुरुग्राम के 35 हजार रूप्ये प्रति वर्ग गज नियुक्त किये हुये है। जिससे इस प्लाट की बाजारी कीमत करोडो रूप्ये में थी और हुड्डा निति के अन्तर्गत यह प्लॉट पहले Conveyance Deed असल अलाटी के नाम होकर डा० सत्यवीर के नाम पर Sale Deed होनी चाहिये थी। ऐसा न करके उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर करोडो रूप्ये का नुकशान किया तथा प्लॉट नं0 4377, सैक्टर-23,23ए, गुरूग्राम जो कि HSVP विभाग की सम्पति जिसकी कीमत करोडो रूप्ये है आर्थिक प्रलोभन में आकर कर्मचारी/अधिकारियों ने आपस में साज-बाज होकर खुर्द-बुर्द कर दिया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम की सम्पति को खुर्द-बुर्द करने में हुड्डा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ साज-बाज होकर रिज्युम/कैन्सिल / विवादित प्लाटों को लेने वाले लोगो के सदस्यों की भूमिका निम्न प्रकार से है :-

(1) श्री S.K. Khosla ने प्लाट न0 4358 सैक्टर 23, 23ए व 4377 सैक्टर 23, 23ए क्रमशः रद्द व रिज्युम के बारे जानते हुये श्री अभय सहारण के नाम दिनांक 15.03.2003 को एक GPA सब रजिस्ट्रार कापसहेडा जिला दक्षिण-पश्चिम नई दिल्ली के कार्यालय में आकर दर्ज करवा दी। जिसपर आर०एन० राठी ने बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है।

(2) श्री अभय साहरण ने श्री एस०के० खोसला से 15.03.2003 को कापसहेडा दिल्ली में प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए की जी०पी०ए करवाई थी उस जी०पी०ए के रजिस्टर होने के बाद अभय सहारण ने उक्त प्लाट श्री सत्यवीर सिंह मलिक हांसी को वर्ष 2019 में बेच दिया।

(3) श्री सत्यवीर सिंह मलिक को वर्ष 2003 में ही प्लाट न0 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरूग्राम पर विवाद की जानकारी रखते हुये रामनिव्रास राठी व अभय सहारण वगैरा व HSVP विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों से साज-बाज होकर हस्ताक्षरो के बलबूते पर जी०पी०ए० की एवेज में उक्त प्लाट अपने नाम ट्रांसफर करवा कर Conveyance Deed अपने नाम करवा ली। जबकि इस प्लाट की कीमत बाजारी भाव व Collector Rate अनुसार करोडो की थी।

(4) श्री रामनिवास राठी द्वारा वर्ष 2003 मे जो GPA श्री एस०के० खोसला द्वारा श्री अभय सहारण के नाम रजिस्ट्रर्ड करवाया था पर बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है श्री रामनिवास राठी द्वारा जानते हुए की प्लाट रिज्युम हो चुका है फिर भी GPA पर बतौर गवाह हस्ताक्षर करके श्री एस०के० खोसला व श्री अभय सहारण के बीच मध्यस्था करके उक्त प्लाट का सौदा करवाया है।

Gurugram Range Gurugram

(5) श्री हनुमान सिंह लिपिक व श्री कृष्ण कुमार सहायक कार्यालय सम्पदा अधिकारी-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम ने प्लाट न0 4358, 4377 सैक्टर 23, 23ए गुरुग्राम जो कि दोनो एक ही मालिक के होने के कारण और उनका माननीय जिला उपभोक्ता फोर्म के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार समान केस मान लिया जबकि प्लाट न0 4358 के पैसे समय पर जमा होने उपरान्त HSVP विभाग ने गलती से रद्द कर दिया था और प्लॉट नं0 4377 के पैसे समय पर जमा न होने उपरान्त रिज्युम किया गया था। प्लाट न0 4358 मुख्य प्रशासक, HSVP हरियाणा पंचकुला द्वारा जिला उपभोक्ता फोर्म के आदेश को लागू करते हुये अपील जिला उपभोक्ता फोर्म के द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर नही की गई थी। जबकि प्लाट न0 4377 के सम्बन्ध में राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की गई थी और फैसला HSVP विभाग के पक्ष में आया था। दोनों प्लाटो में समानता न होते हुये भिन्नता पाई गई है। आर्थिक प्रलोभन के अन्तर्गत इन्होने असल तथ्यो को छुपाकर गलत नोटिंग तैयार करके अप्रूवल ली तथा मुख्य प्रशासक द्वारा पारित किये गये Speaking order की अनुपालना करते हुये प्लाट को जी०पी०ए० के आधार पर ट्रांसफर करके हरियाणा सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई।

(6) श्री मुकेश कुमार, HCS, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम ने दिनांक 26.06.2018 को प्लॉट नं0 4377, सैक्टर-23,23ए, गुरुग्राम के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड अनुसार ना भेजकर प्रतिवेदनकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिये यह लिख कर भेज दिया कि प्लॉट नं0 4358 व 4377, सैक्टर-23,23ए, गुरूग्राम दोनों प्लाटों को केस Similar है और full and final payment जमा होने बारे अंकित करके तथा अपनी विशेष सिफारिस करते हुये प्रशासक, HSVP, गुरूग्राम को भेजी थी तथा इसकी एक प्रति सूचनार्थ हेतू मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकुला को भेजी थी। जबकि प्रशासक, HSVP, गुरूग्राम ने उपरोक्त टिप्पणी बारे अपनी असहमति दर्शाते हुये इसको सूचित कर दिया था। यह सुचना मिलने उपरान्त भी सम्पदा अधिकारी-1 ने इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक, HSVP, हरियाणा, पंचकुला के साथ जान बूझकर कोई पत्राचार नहीं किया। दिनांक 06.10.2015 को भी सम्पदा अधिकारी-1, HSVP, गुरूग्राम ने अपनी पूर्ण टिप्पणी मुख्य प्रशासक, HSVP, हरियाणा, पंचकुला को भेजी हुई थी जो यह रिपोर्ट रिकार्ड अनुसार ठीक (HSVP विभाग के पक्ष में) भेजी गई थी। उसकी अनदेखी करके गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 26.06.2018 को अपनी टिप्पणी भेज दी। इस रिपोर्ट को ठीक मानते हुये मुख्य प्रशासक, HSVP, हरियाणा, पंचकुला ने प्रतिवेदनकर्ता को फायदा पहुंचाते हुये अपना Speaking Order दिनांक 01.03.2019 को पास कर दिया। मुख्य प्रशासक, HSVP, हरियाणा, पंचकुला के उक्त आदेश की पालना करते हुये सम्पदा अधिकारी-1 ने GPA के अनुसार यह प्लाट ट्रांसफर कर दिया और प्लाट ट्रांसफर होने उपरान्त सत्यवीर मलिक के नाम से Conveyance deed भी करवा दी। जबकि उपरोक्त प्लॉट का Allotment letter दिनांक 07.06.1988 को जारी हुआ था। परन्तु करीब 30 साल बाद इस प्लॉट को ट्रांसफर HSVP विभाग के नियमों को ताक पर रख कर किया है। इस प्रकार बिना Sale Deed के प्लॉट का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया जो नीति के विरूद्ध था। जिसकी गणना इस प्रकार है :-

HSVP Coneyance Deed अनुसार दर्शाई गई कीमत (i) Area of Plot -420 Sq. Mtr. (500.64 Sq. Yard) (ii) Coneyance Deed के लिए निर्धारित स्टे -1605/-रु प्रति वर्ग मीटर (iii) कुल किमत - 6,71,100/-रु (iv) Stamp Duty- 47,300/-रु

वर्ष 2019 में Collector Rate अनुसार दर्शाई गई कीमत (i) Area of Plot- -500.64 Sq. Yard (ii) Sale Deed के लिए निर्धारित क्लैक्टर रेट - 35,000/-रु प्रति वर्ग गज (iii) कुल किमत-1,75,00,000/-रु

अनुमानित बाजारी भाव अनुसार कीमत (i) Area of Plot- -500.64 Sq. Yard (ii) निर्धारित रेट- 70,000/-रु प्रति वर्ग गज

(7) डा० डी० सुरेश कुमार, भा०प्रा०से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, HSVP, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में एक Revision petition मुख्य मन्त्री हरियाणा सरकार के कार्यालय से प्राप्त हुई जिस Revision Petition पर अलॉटी श्री S.K. Khosla हस्ताक्षर करके जिसमें यह दर्शाया गया था कि प्लॉट नं0 4358 व 4377, सैक्टर-23,23ए, गुरुग्राम का Similar केस है। प्लॉट नं0 4358 को पहले ही जिला उपभोक्ता फोर्म के आदेश अनुसार बहाल किया जा चुका है और प्लॉट नं0 4377, सैक्टर-23,23ए, गुरुग्राम के सम्बन्ध में भी जिला उपभोक्ता फोर्म गुरुग्राम के आदेश की पालना करते हुये प्रतिवेदनकर्ता के हक में बहाल किया जाये। जिसकी सुनवाई करते हुये CA, HSVP, PKL द्वारा प्रशासक, HSVP, गुरुग्राम से Comments मांगे गये थे। जिसके सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारी-1, HSVP, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 4541 दिनांक 26.06.2018 को अपने comments सूचनार्थ मुख्य प्रशासक, HSVP, पंचकुला को यह लिखते हुये भेज दिये

कि प्लॉट नं0 4358 व 4377, सैक्टर-23.23ए, गुरुग्राम दोनों का केस Similar है और दोनों प्लॉटों का मालिक भी एक ही व्यक्ति है व दोनों प्लॉटों के सम्बन्ध में DCF ने अलॉटी के हक में आदेश पारित किये हुये है। जिन comments को ठीक न मानते हुये प्रशासक, HSVP, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 16978 दिनांक 26.12.2018 को CA, HSVP, PKL को भेजते हुये लिखा कि प्लॉट नं0 4358 व 4377. सैक्टर-23,23ए, गुरुग्राम दोनों प्लॉटों का केस similar नहीं है तथा राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिनांक 12.10.2012 को पारित किये गये आदेश जो कि HSVP विभाग के हक में किये गये थे को revision petition कर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में अपील दायर की हुई है जो कि विचाराधीन है। जिस पर प्रतिवेदनकर्ता द्वारा Anterim application No. 3222 of 2019 submit for withdrawal माननीय NCDRC नई दिल्ली में लगा दी, जिस पर माननीय NCDRC नई दिल्ली ने दिनांक 22.02.2019 को RP No. 346/2013 में यह लिखते हुये "An application has been moved by the petitioner to withdraw the present revision petition with liberty to take up the matter before the chief Administrator Haryana" आदेश पारित किये। मुख्य प्रशासक, HSVP, PKL ने दिनांक 01.03.2019 को सुनवाई करते समय EO-1 द्वारा दिनांक 26.06.2018 को भेजी गई टिप्पणी को ठीक मानते हुये तथा माननीय SCDRC के दिये गये आदेशो को ना मानकर माननीय DCRCF के आदेशो को ठीक मानते हुये Speaking Order पारित कर दिया। जैसा कि मुख्य प्रशासक, HSVP, PKL ने उक्त आदेश पारित किये है जिस वजह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लाट नं0 4377 सैक्टर 23, 23ए बा रकबा 500.64 वर्ग गज जिसकी वर्ष 2019 के सर्कल रेट अनुसार किमत 1,75,00,000/-रु० (एक करोड पच्चतर लाख रूप्ये) है को मात्र 6,71,853 /- रु में दे दिया गया। जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बेशकीमती (करोडो रूप्ये) सम्पति देकर सरकार व विभाग को राजस्व हानि पहुंचाई है।

अतः उपरोक्त सभी आरोपीयान श्री स्वर्ण कुमार खोसला, श्री अभय सहारण, सत्यवीर मलिक, श्री रामनिवास राठी, श्री हनुमान लिपिक, श्री कृष्ण कुमार सहायक, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 गुरूग्राम व डा० सुरेश कुमार भा०प्र० से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 409.420,120बी भा०द०स० व 13 (1) ए भ्रष्टाचार अधिनियम सन्शोधित वर्ष 2018 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये करने तथा अभियोग के अनुसंधान के दौरान अन्य किसी व्यकित, अधिकारी / कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान अभियोग में शामिल किया जाकर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाने बारे सुझाव देने बारे अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3089-90/SVB/GGM Dated 12.08.2022 के अनुसार श्रीमान पुलिस महानिदेशक, राज्य सर्तकता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पचंकुला के कार्यालय में भेजी गई थी। पुलिस महानिदेशक रा०स०एवं भ्र०नि०ब्यूरो० हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 14910/गुप्त/भ्र०नि०ब्यूरो दिनांक 05.09.2023 के अनुसार श्री डा० सुरेश कुमार भा०प्र० से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 गुरूगाम, श्री हनुमान लिपिक व श्री कृष्ण कुमार सहायक के विरूध 17A पी०सी० एक्ट 1988 के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव चौकसी विभाग हरियाणा को पत्र लिखा गया था,

इसके उपरान्त पत्र कमांक 07/20/2019-VII दिनांक 02.02.2026 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा आरोपियान 1. डा० सुरेश कुमार भा०प्र०से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम, श्री कृष्ण कुमार सहायक, श्री हनुमान लिपिक, श्री स्वर्ण कुमार खोसला, सत्यवीर मलिक, श्री अभय सहारण, रामनिवास राठी व वशिष्ठ कुमार गोयल पुत्र श्री रामचन्द्र म०न० 842/18, शान्ति नगर गुरुग्राम के विरूद्ध धारा 17A पी०सी० एक्ट के अनुसार अभियोग अंकित करने की अनुमति प्रदान की गई। आरोपीयान सरकारी कर्मचारियो के विरूद्ध धारा 17A पी०सी० एक्ट की अनुमति प्रदान की गई और ना ही सरकारी कर्मचारियो/अधिकारियो का स्पष्ट रूप से नाम व पद का वर्णन किया। जो स्थिति स्पष्ट करने के लिए आरोपीयो के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम के कमांक न० 1546/ए-1/रा०स० एवं भ्र०नि०ब्यू०/ गुरूग्राम दिनांक 27.03.2026 के अनुसार पत्र लिखा गया।

POLICE STATION S.V. & A.C.B.

इसके उपरान्त महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 15012/Secret/SVACB(H) Dated 29.07.2026 व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के कमांक न0 07/20/2019-1VI॥ दिनांक 21.07.2026 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम कार्यालय

के डायरी न0 2454 दिनांक 03.08.2026 के अनुसार जांच में अभियोग दर्ज करने हेतू ड्राफ्ट तहरीर के लिए आदेश प्राप्त हुये। इसलिए डा० सुरेश कुमार भा०प्र० से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम, श्री कृष्ण कुमार सहायक, श्री हनुमान लिपिक, श्री स्वर्ण कुमार खोसला, सत्यवीर मलिक, श्री अभय सहारण, रामनिवास राठी व वशिष्ठ कुमार गोयल पुत्र श्री रामचन्द्र म०न० 842/18, शान्ति नगर गुरुग्राम के विरूद्ध धारा 120बी, 409.420 भा.द.स. एंव 7, 13 (1) A पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तगर्त अभियोग दर्ज करने हेतू ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नम्बर 4267/SVACB /GGM Dated 13-08-2026के अनुसार भेजी गई थी। श्रीमान महानिदेशक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 16288 हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक, /Secret/ SVACB (H) Dated 18-08-2026 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है। आज मै हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हूँ। डा० सुरेश कुमार भा०प्र० से० तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-1 गुरुग्राम, श्री कृष्ण कुमार सहायक, श्री हनुमान लिपिक, श्री स्वर्ण कुमार खोसला, सत्यवीर मलिक, श्री अभय सहारण, रामनिवास राठी व वशिष्ठ कुमार गोयल पुत्र श्री रामचन्द्र म०न० 842/18, शान्ति नगर गुरुग्राम के विरूद्ध धारा 120बी, 409,420 भा.द.स. एव 7. 13(1)A पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तगर्त अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर तैयार करके ASI बसन्त कुमार नम्बर 138/ JJR के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जायें। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियामानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जायें। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु अर्जुन राठी. (ह०पु०स०) उप पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाई जायें। sd (भारतेन्द कुमार, ह०पु० से०) उप पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। दिनांक 26-08-2026 AT- 06.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP अर्जुन राठी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARJUN RATHI **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

**No. (सं.):** GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)**

**or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या).**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

POLICE STATION S.V. & A.C.B. राज्य सर्तकता ... निरोधक ब्यूरो (ह) गुरु... Gurugram

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Ashok Kumar
Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~omparkash~~ Ashok Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): ~~12sr~~ 149/GGM

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 2 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 3 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 4 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 5 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 6 | Male | 1986 | | | | **Is pox pitted:** Yes |

POLICE STATION S.V. & A.C.B. Gurugram Range Gurugram